प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'तीन'

प्रश्न [19/7/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 278]

नियम 7. पटवारियों का स्थानान्तरण- किसी पटवारी का स्थानान्तरण उसी उप-सम्भाग के एक हल्के से दूसरे हल्के में उपखंडीय अधिकारी (उप-संभागीय अधिकारी) द्वारा तथा एक उप-संभाग से दूसरे उप-संभाग में कलेक्टर द्वारा किया जा सकेगा। स्थानान्तरण के प्रस्ताव, तहसीलदार द्वारा अधीक्षक, भू-अभिलेख के मार्फत भेजे जायेंगे।

टिप्पणी (1)–(7) नियम

(1) पटवारियों के एक हल्के (Circle) से दूसरे हल्के में तबादला S.D.O. कर सकेगा।

(2) कलेक्टर एक Sub-Division तहसील परगना से दूसरे तहसील परगने में जिले के भीतर पटवारी का तबादला कर सकेगा।

(3) तबादले के प्रस्ताव तहसीलदार परगने का अधिकारी S.L.R. के द्वारा S.D.O. को भेजेगा।

(4) सर्विस लॉ- में तबादला एक सहज क्रम है किन्तु ऐसे आदेश को दो आधारों पर चुनौती दी जा सकती है- एक तो- यदि आदेश दुर्भावना पूर्ण दिया गया हो। दूसरे- कानूनी उपबन्धों- नियमों के प्रतिकूल दिया गया हो- सुरेश कुमार शर्मा वि. म्युनिसिपल कौंसिल अम्बाह- 1994 (1) म. प्र. जुडीशियल रिपोर्ट 198 डीबी. हाईकोर्ट (जस्टिस एस.के. दुबे तथा जस्टिस के. एम. पाण्डे) (यूनियन ऑफ इंडिया वि. एस.एन. अब्बास, 1993 ए.आय.आर. सु.को. वीकली 1753)

[दुर्भावना- पक्के तथ्यों से समझी जा सकती है- दिनेश कुमार शर्मा वि. म. प्र. दुग्ध महासंघ सहकारी मर्यादित, 1994 (1) म. प्र. जुडी. रिपोर्टर 306- डी.बी. हाईकोर्ट- जस्टिस एस.के. दुबे, जस्टिस एस.के. चावला- ऐसा तबादला नहीं किया जाना चाहिए जिससे परिणाम में employer का परिवर्तन होता हो या जिसके फलस्वरूप जूनियर्स के मुकाबले में नियोजित आवेदक के पद की हैसियत की तथा वेतन की अवनति होती हो]. (देखिए जवाहरलाल नेहरू यूनीवर्सिटी वि. डॉ. के.एस. जावत्कर तथा अन्य, 1989 सुप्रीम कोर्ट सर्विस लॉ जजमेंट्स (Vol. 13) (राजेन्द्र राय वि. यूनियन ऑफ इंडिया ए.आय.आर. 1993 सु.कोर्ट 1236) (पैरा 19, 20 में उद्धृत- दिनेश कुमार वि. दुग्ध महासंघ म. प्र., 1994 (1) म. प्र. जुडी. रिपो. 306)

नियम 8. कोई भी पटवारी उप-संभागीय अधिकारी द्वारा हटाया या पदच्युत किया जा सकेगा।

टिप्पणी– (1)–(8) नियम

(1) म. प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 के अध्याय 9 में भू-अभिलेख सम्बन्धी प्रावधान न किये गये हैं जिनमें धारा 104 में पटवारी के हलकों की विरचना तथा उनमें पटवारियों की नियुक्ति के बारे में निर्दिष्ट है।

धारा 104 (2) में- 'कलेक्टर भू-अभिलेख रखने तथा उनके शुद्धिकरण के लिये और अन्य कर्तव्यों के लिये जैसें कि राज्य सरकार विहित करे, प्रत्येक पटवारी हलके में एक या अधिक पटवारियों की नियुक्ति करेगा।' ऐसा प्रावधान है। भू-अभिलेख संहिता की धारा 2 (1) (ड) के अनुसार संहिता के उपबन्धों के अधीन रखे गये भू-अभिलेख होते हैं।

धारा 106 (2) में नगर सर्वेक्षक तथा सहायक नगर सर्वेक्षक को उनके भारसाधन के अधीन आने वाले क्षेत्रों के सम्बन्ध में धारा 28, 109, 110, 112, 118 तथा 120 (भू-राजस्व संहिता, 1959) के प्रयोजनों के लिये पटवारी समझे जाने का प्रावधान किया गया है।

(राजस्व) उपखंडीय अधिकारी- द्वारा पटवारी की पदच्युति अधिकार के भीतर है- (मांगीलाल वि. म. प्र. राज्य, 1995 राजस्व निर्णय 67 (डी.बी.-हाईकोर्ट)।

(2) उप-संभागीय अधिकारी (एस. डी. ओ.) उप-खंडीय अधिकारी से आशय है। जब पटवारी को हटाया या पदच्युत किया जाता है तो इसे धारा 104 (2) भू-राजस्व संहिता, 1959 के अधीन दिया

यवहार में समानता- समान कर्मकारो
ाटीकल (14) भारतीय संविधान-

हीं बनाई जाना चाहिए- ओम प्रकाश
ीम कोर्ट;

प्रकाश वार्ष्णेय वि. यूनियन ऑफ
ण के प्रति सहानुभूति पूर्ण व्यवहार

। कालावधि या विशेष प्रयोजन के
(II) म. प्र. वी. नोट 182) इनको
, 1987 म. प्र. ला ज. 173)।
सकता है और न सेवा समाप्त की
ा ज. 376; ओ.पी. भण्डारी वि.
म. प्र.वी. नोट 113 सुप्रीम कोर्ट;
ेट);

जय गोपाल वि. स्टेट, 1986 ज.

दों को भरने के लिये उपलब्ध है
मिश्नर सागर, 1986 (II) म. प्र.

। जाना चाहिए और आरोप पत्र में
। किया जा सकता- के.एन. मिश्रा
। प्रसाद श्रीवास्तव वि. म. प्र. लघु

नी में दी गई किन्तु उन्हें कर्मचारी
ा जा सकता- (आर. एस. पाराशर
86)।

नता के सिद्धान्तों के आधार पर
किये गये हों कायम नहीं रखे जा

ेना चाहिए- (एस.सी. वैश वि.

ा व्यवहार- आर्टीकल 16, 14
र वि. स्टेट म. प्र., 1986 म. प्र.
जैन, 1986 ज. ला ज. 791)।
(लगातार सेवा में रहना) माना
ो वि. स्टेट म. प्र., 1986 (1)
लाभ- [एन.एस. संधू वि. स्टेट